

13.08.2024:-पत्रावली आज प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी में लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी का मूल वादपत्र विद्धा कर लिया गया। मूल वाद पत्र विद्धा होने के कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र विद्धा होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. में वर्तमान स्तर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

(Signature)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

024

पत्रावली आज
में से लिया
गया। प्रार्थ
ना मूल वाद
कोई कार्यवाही
होने के क
212 आर.
पत्रावली
तकमील दफतर

